



Neutral Citation No. - 2026:AHC:182586

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4922 सन् 2026

विसर्जन राम

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : शिव प्रसाद यादव, श्री निवास यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अंकित शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

1. यह आपराधिक पुनरीक्षण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, जौनपुर के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 39 सन् 2024 (अरुण कुमार बनाम विसर्जन राम), धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर में पारित आदेश दिनांक 01.07.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणवादी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा अभियुक्त विसर्जन राम को धारा 392 भारतीय दंड संहिता के अपराध से उन्मोचित कर दिया गया है और धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध के संबंध में उन्मोचन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी तथा एक अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान अभियुक्त पुनरीक्षणवादी की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं पाई गई तथा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध एक विरोध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर मामले को परिवाद वाद के रूप में माना गया और धारा 200 तथा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी तथा सह-अभियुक्त आशुतोष को धारा 323, 392, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समन किया गया। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणवादी द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अवैध आदेश पारित करते हुए आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्रित सीडीआर के साक्ष्य पर विचार नहीं किया, जिससे यह स्थापित होता है कि अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि पुनरीक्षणवादी की पत्नी द्वारा धारा 323, 504, 354 भारतीय दंड संहिता तथा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया था और अभियुक्त पुनरीक्षणवादी को उस मामले के प्रति-प्रहार के रूप में वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
4. आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपना न्यायिक विवेक प्रयोग किए बगैर पारित किया गया है। पुनरीक्षणवादी एक निर्दोष व्यक्ति है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथनों तथा विवेचना अधिकारी द्वारा अभिलिखित कथनों और न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कथन के मध्य विरोधाभास हैं, जो अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करते हैं। आक्षेपित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार किए बिना पारित किया गया है और अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी उन्मोचित किए जाने योग्य है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का जोरदार विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए जाने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री एवं साक्ष्य उपलब्ध हैं। परिवादी तथा साक्षियों ने धारा 200, 202 तथा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथनों द्वारा परिवादी के मामले का समर्थन किया है। परिवादी का स्वयं धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण किया गया है और अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी ने धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्षी से प्रति-परीक्षण नहीं किया।
6. आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणवादी पुलिसकर्मी है, जिसके कारण विवेचना अधिकारी ने केवल पुनरीक्षणवादी का पक्ष लेने के लिए उचित तरीके से विवेचना नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप विवेचना अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने इस तर्क के साथ विरोध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि विवेचना अधिकारी अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी का पक्ष ले रहा है, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया और मामले को परिवाद वाद के रूप में माना गया। पुनरीक्षणवादी एक प्रभावशाली व्यक्ति है तथा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 का पड़ोसी है, जिसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है। परिवादी के साक्षियों ने धारा 200, 202 तथा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथनों में स्पष्ट रूप से कथन किया है और परिवादी के कथन का समर्थन किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री पर विचार करने के पश्चात विस्तृत एवं कारणयुक्त आदेश पारित करते हुए उन्मोचन आवेदन को आंशिक रूप से अस्वीकार किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
7. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध इस आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 28.02.2023 को प्रातः 8:55 बजे परिवादी अरुण कुमार अपनी मोटरसाइकिल से प्रयागराज से जनपद न्यायालय, जौनपुर जा रहा था, तभी थाना सिकरारा के खाना-पट्टी बोर्ड के पास अभियुक्त विसर्जन राम पुत्र बलचंद (चमंगंज, झूंसी, प्रयागराज), आशुतोष एवं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अन्य लोगों ने पुरानी दुश्मनी के कारण उसका रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। उसके शोर मचाने पर परिचित सोनू निगम (पॉलिटेक्निक चौराहा, जौनपुर) तथा अन्य राहगीरों ने बीच-बचाव किया, जिसके पश्चात अभियुक्तों ने शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गए।

8. अंतिम रिपोर्ट की प्रति से पता चलता है कि विवेचना के पश्चात अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी का स्थान इलाहाबाद में पाया गया और वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। मामले को परिवाद वाद के रूप में मानने के पश्चात परिवादी का कथन धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित किया गया तथा साक्षी पी.डब्ल्यू.1 सोनू कुमार और पी.डब्ल्यू.2 प्रदीप कुमार के कथन अभिलिखित किए गए और उक्त कथनों पर विचार करने के पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के माध्यम से अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी विसर्जन राम तथा सह-अभियुक्त आशुतोष को समन किया गया।
9. अभियुक्त की विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के पश्चात परिवादी का कथन धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.1 के रूप में अभिलिखित किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध उपर्युक्त कथन की प्रति से पता चलता है कि अभियुक्त ने पी.डब्ल्यू.1 से प्रति-परीक्षण नहीं किया। धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.1 के कथन के परिशीलन से अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता हुआ प्रतीत होता है, जिसका समर्थन धारा 200 तथा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित कथन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से भी होता है।
10. विद्वान विचारण न्यायालय ने उमेश @ बंटी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य : 2013(1) जे.आई.सी. 394 तथा अजय कुमार घोष बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य : (2009) 14 एस.सी.सी. 115 के मामले में प्रतिपादित विधि पर अवलम्ब लेकर, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण करने के पश्चात यह पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत लूट का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लूट या सोने की चेन छीनने का कोई उल्लेख नहीं था।
11. अजय कुमार घोष (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट, परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की धारा 244 के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अभियुक्त को उन्मोचित नहीं कर सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245(1) का चरण तभी आता है, जब धारा 244 के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित कर लिया गया हो। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है :

"39. आरोप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 246(1) के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, जो निम्नवत् है:

"246. जहां अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाता, वहां प्रक्रिया-(1) यदि ऐसा साक्ष्य लिया जा चुका है, या मामले के किसी पूर्व चरण में, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अंतर्गत विचारणीय कोई अपराध किया है, जिसका विचारण करने के लिए ऐसा मजिस्ट्रेट सक्षम है और जिसे उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप निर्धारित करेगा।"

धारा की भाषा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244(1) के चरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर ही आरोप निर्धारित किया जाना है, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अंतर्गत विचारणीय कोई अपराध किया है। अतः, सामान्यतः जब अभियोजन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को उस पर विचार करना होता है और यदि वह संतुष्ट होता है, तो मजिस्ट्रेट आरोप निर्धारित कर सकता है।"

12. एक अन्य वाद के विधि-निर्णय **सुनील कुमार बनाम गुजरात राज्य, (2013) 9 एस.सी.सी.**

209 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया कि निजी परिवाद में धारा 200 तथा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित कथन केवल समन जारी करने के उद्देश्य से अभिलिखित किए जाते हैं। एक बार अभियुक्त उपस्थित हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को प्रति-परीक्षण करने का अधिकार देते हुए धारा 244 दंड

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नए सिरे से साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245(1) के अंतर्गत उन्मोचन आवेदन पर निर्णय करते समय केवल इसी साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है :

"12. धारा 244 से 246 में इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एक बार अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो जाता है या उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तो अभियोजन को सुना जाना है और उसके मामले के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सभी ऐसे साक्ष्य को अभिलिखित किया जाना है। उन्मोचित करने की शक्ति भी धारा 245 के अंतर्गत केवल धारा 244 में निर्दिष्ट समस्त साक्ष्य लिए जाने के पश्चात ही प्रयोग की जा सकती है, इसी प्रकार धारा 246 के अनुसार आरोप निर्धारित करने की शक्ति का प्रयोग धारा 244 के अंतर्गत अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर ही किया जाना है। धारा 246 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'जब ऐसा साक्ष्य लिया जा चुका हो' महत्वपूर्ण है और उस साक्ष्य को संदर्भित करती है, जिसे संहिता की धारा 244(1) के अनुसार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। धारा 244, 245 और 246 के प्रावधानों अथवा संहिता के किसी अन्य प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे दूर से भी यह संकेत मिले कि अध्याय XV के अंतर्गत अभियुक्त का संज्ञान लेने और उसके विरुद्ध समन जारी करने के चरण में मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया साक्ष्य, अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 246 के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जब तक कि उसे संहिता की धारा 244 के अंतर्गत प्रस्तुत न किया गया हो। दोनों अध्यायों की योजना पूर्णतः भिन्न है। जबकि अध्याय XV परिवाद दाखिल करने, परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने तथा उसके आधार पर विवेचना और जांच के साथ या उसके बिना संज्ञान लेने से संबंधित है, अध्याय XIX का भाग B पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्यथा संस्थित वारंट मामलों के विचारण से संबंधित है। अध्याय XIX के अंतर्गत अभियुक्त का विचारण तथा उससे संबंधित साक्ष्य का उस साक्ष्य से, जो प्रारंभिक चरण में मजिस्ट्रेट द्वारा कथन अभिलिखित करने और साक्ष्य की परीक्षा इस उद्देश्य से करने के समय प्रस्तुत किया जाता है कि यह निर्धारित किया जा सके कि आगे कार्यवाही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करने के लिए कोई मामला बनता है या नहीं, कोई निकट या अन्यथा संबंध नहीं है। केवल इतना कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष संज्ञान लेने और अभियुक्त को समन करने के चरण में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य प्रायः वही हो सकता है, जो अभियुक्त के समन के अनुसरण में उपस्थित होने के पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, संज्ञान लेने और अभियुक्त को समन करने के चरण में न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण तथा विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य के बीच गुणात्मक अंतर है। यह अंतर इस तथ्य में निहित है कि जबकि पूर्ववर्ती प्रक्रिया अभियुक्त की अनुपस्थिति में संचालित की जाती है, बाद वाली प्रक्रिया उसकी उपस्थिति में इस अवसर के साथ की जाती है कि वह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों से प्रति-परीक्षण कर सके।"

13. उपर्युक्त विधि-व्यवस्था के आलोक में, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि परिवादी ने स्वयं पी.डब्ल्यू.1 के रूप में साक्ष्य दिया है और धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन की प्रति से यह भी प्रतीत होता है कि साक्षी से प्रति-परीक्षण करने का अवसर बचाव पक्ष को दिया गया था, किंतु बचाव पक्ष ने पी.डब्ल्यू.1 से प्रति-परीक्षण नहीं किया। धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.1 का कथन धारा 200 के अंतर्गत परिवादी के कथन तथा धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित साक्षियों के कथनों द्वारा भली-भांति समर्थित प्रतीत होता है। अतः प्रथमदृष्टया अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी को धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपों से उन्मोचित करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस तथ्य के आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लूट/चेन छीनने के संबंध में तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था, न ही यह धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित कथन में उल्लिखित प्रतीत होता है। धारा 392 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध संदिग्ध प्रतीत होता है।

14. जहां तक अभियुक्त की उपस्थिति से संबंधित बिंदु का प्रश्न है, यह विचारण का विषय है। आरोप निर्धारित करने या उन्मोचन आवेदन का निस्तारण करने के चरण में, केवल सीडीआर के आधार पर अभियुक्त की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथ्य का परीक्षण विचारण के दौरान दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किया जाना है।

15. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से पता चलता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की स्पष्ट रूप से विवेचना की है, जिन्हें धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 200 और 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित साक्षियों के कथनों का समर्थन प्राप्त है और न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करते हुए अभियुक्त के उन्मोचन आवेदन को आंशिक रूप से अस्वीकार किया है।

16. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, इस न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि, औचित्यहीनता अथवा अवैधता नहीं मिलती है। आक्षेपित आदेश को प्रतिकूल या औचित्यहीन नहीं कहा जा सकता, जिससे इस न्यायालय की सीमित पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप आवश्यक हो।

17. ऊपर बताए गए कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि आपराधिक पुनरीक्षण में कोई गुण-दोष नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

18. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।

19. यहां की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान पुनरीक्षण का निर्णय करने के प्रयोजन तक सीमित हैं और विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष के संबंध में राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएंगी।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत)

21 अगस्त, 2026

ए.डी.वाई.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”